08-9-2020

पत्रावली आज दिनांक 08.9.2020 को पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (हरी राम ज्याणी पुत्र धुडाराम ज्याणी, जाति– जाट, निवासी– गली नं.6, टांकरिया, सिरोही, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबाकरर्ता एवं मालिक, बीकानेर मावा भण्डार, शाहजी की बाडी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के पास, सिरोही, जिला– सिरोही) उपस्थित। प्रतिवादी ने आज एक प्रार्थना पत्र पेश कर अनुरोध किया कि इस प्रकरण मेरी सुनवाई दिनांक 14.9.2020 को होनी है, किन्तु मुझे दिनांक 13.9.2020 को बीकानेर जाना है। इसके कारण में तारीख पेशी पर उपस्थित नही हो पाउंगा, अतः इस प्रकरण में मेरी सुनवाई आज ही करावे। प्रतिवादी हरी राम ज्याणी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर इस

.....पेज दो पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:42:13 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.24/2020	नम्बर व तारीख आदेश जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

प्रकरण पत्रावली आज दिनांक 08.9.2020 को सुनवाई हेतु रखी गई। प्रकरण में प्रतिवादी हरी राम ज्याणी ने स्वयं एवं प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से संयुक्त लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 04.8.2020 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने जिस सोन पपडी (श्री कृष्णा ब्राण्ड) का नमूना जांच के लिये लिया था जो जांच रिपोर्ट में मिसब्राण्ड पाया गया है। वह मेरी फर्म बीकानेर मावा भण्डार से लिया था। मैनें अब वह सोन पपडी बेचनी बंद कर दी है। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। मैं एक छोटा दुकानदार हूँ, कृप्या मुझे इस प्रकरण से मुक्त करावे।

प्रकरण में प्रतिवादी हरी राम ज्याणी द्वारा उक्तानुसार गलती / जुर्म स्वीकार कर लिये जाने एवं प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से भी संयुक्त लिखित जवाब प्रस्तुत कर दिये जाने से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी हरी राम ज्याणी की आज ही बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी हरी राम ज्याणी ने उक्त खाद्य पदार्थ सोन पपडी (श्री कृष्णा ब्राण्ड) के क्रय का जो बिल प्रस्तुत किया है वो दिनांक 05.8.2019 का प्रस्तुत किया है, जबकि उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना जांच हेतु दिनांक 04.8.2019 को लिया गया था। यह कि प्रतिवादी ने मिथ्याछाप सोन पपडी (श्री कृष्णा ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित किया जावे। जबकि प्रतिवादी हरी राम ज्याणी ने यह अनुरोध किया कि यह उसकी पहली गलती है, उसने सोन पपडी (श्री कृष्णा ब्राण्ड) की खरीद बाबत जिस फर्म श्री कृष्णा ब्राण्ड केक बिलिंग, पाली का बिल पेश किया है वो दिनांक 05.8.2020 का है, जबकि नमूना जांच हेतु दिनांक 04.8.2020 का है। दिनांक 04.8. 2020 एवं इससे पूर्व का बिल मेरे पास उपलब्ध नही होने से खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मैनें प्रस्तुत नही किया। यह कि उक्त खाद्य पदार्थ सोन पपडी (श्री कृष्णा ब्राण्ड) को मैनें पैकिंग अवस्था में क्रय किया था वह पैकिंग अवस्था में ही विक्रय किया था, परन्तु बिल मेरे पास नही है। मैं मेरी गलती स्वीकार करता हूँ, भविष्य में ध्यान रखूंगा। अतः कम जुर्माना करके प्रकरण का आज ही निस्तारण करावें।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.8.2019 को खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु प्रतिवादी हरी राम ज्याणी पुत्र धुडाराम ज्याणी, जाति– जाट, निवासी– गली नं. 6, टांकरिया, सिरोही, जिला– सिरोही की फर्म बीकानेर मावा भण्डार, शाहजी की बाडी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के पास, सिरोही, जिला– सिरोही पर गये। उक्त फर्म बीकानेर मावा भण्डार, शाहजी की बाडी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के पास, सिरोही, जिला– सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से प्रतिवादी हरी राम ज्याणी उपस्थित मिले, जो आम जन को खाद्य पदार्थ सोन पपडी (श्री कृष्णा ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म बीकानेर मावा भण्डार के निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ सोन

.......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:42:13 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.24/2020	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

पपडी (श्री कृष्णा ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए दुकान के अन्दर बिक्री हेतु मौजूद सोन पपडी (श्री कृष्णा ब्राण्ड) के 6x5.5 Kg पैक्ड पैकेट में से 2 किलोग्राम पैक्ड पैकेट सोन पपडी (श्री कृष्णा ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ सोन पपडी (श्री कृष्णा ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-997 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./605/Act/2019/663 दिनांक 16.8.2019 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी हरी राम ज्याणी ने उक्त खाद्य पदार्थ सोन पपडी (श्री कृष्णा ब्राण्ड) के खरीद बाबत आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण की अनुसंधान के दौरान जो बिल प्रस्तुत किया था वह दिनांक 05.8.2020 का है, जबकि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ सोन पपडी (श्री कृष्णा ब्राण्ड) का नमूना जांच हेतु दिनांक 04.8.2020 को लिया गया था। प्रतिवादी हरी राम ज्याणी ने उक्त खाद्य पदार्थ सोन पपडी (सोन पपडी) के खरीद का दिनांक 04.8.2020 या इससे पूर्व की दिनांक का बिल न तो प्रकरण की अनुसंधान के दौरान आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किया है व न ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है, इस कारण से प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–2 को दोषी नही ठहराया जा सकता है। चूंकि उक्तानुसार प्रकरण में यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी हरी राम ज्याणी द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ सोन पपडी (श्री कृष्णा ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–2 को दोषमुक्त किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत प्रतिवादी हरी राम ज्याणी पुत्र धुडाराम ज्याणी, जाति– जाट, निवासी– गली नं. 6, टांकरिया, सिरोही, जिला– सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, बीकानेर मावा भण्डार, शाहजी की बाडी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के पास, सिरोही, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 6,000/– (अक्षरे रुपये छः हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी हरी राम ज्याणी पुत्र धुडाराम ज्याणी, जाति– जाट, निवासी– गली नं. 6, टांकरिया, सिरोही, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी. डी. आयन्दा दिनांक 25.9.2020 को पेश हो।

(गितेश श्री मालवीया)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:42:13 IST
Reason: SelfAttested